फर्द अहकाम
(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोविन्दगढ़ (अलवर) राज॰

प्रकरण सं॰ 1/ . . . . /21 तारीख रजू . . . . / . . . . दावा इस्तकरारहक . .

. . . . हबीबन वगैरा बनाम . . . शौकीन . . . .

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म जारी हुआ
	24/12/2021 वकील वादी उपस्थित। यह दावा वकील वादी ने पेश किया। दावा दर्ज पंजिका हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादी दिनांक 24.1.22 को पेश हो। SDO Sd. उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
24.1.22	वकील श्री सोहनपाल सैनी ने वादीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी होकर पत्रावली वास्ते रसीदी प्रति दिनांक [illegible]-2-22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
[illegible]/2/22	वकील वादी उपस्थित। साबिक आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 24.2.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
24/2/22	पक्षकारान फरीकैन उप०/P.O. साहब [illegible] है। [illegible] पत्रावली दिनांक 24.3.22 को पेश हो रीडर	
25/3/2022	दिनांक 24/3/2022 को राजस्व कार्मिकों की कलम बंद हड़ताल होने से पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान फरीकैन उपस्थित। पत्रावली दिनांक 28/5/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम जारी
15.04.2025	पत्रावली पेश हुई। आदेशानुसार वादी उप० दावा वादी आंशिक रूप से डिक्री किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। शामिल अभिलेखागार हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/168/2021

बउनवान

1. हबीबन पत्नी रूस्तम जाति मेव निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. खातुनी स्त्री सकील माता हबीबन जाति मेव निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
3. अरबीना स्त्री कयुम माता हबीबन जाति मेव निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

-----वादीया

बनाम

1. शौकीन पुत्र अजमल जाति मेव निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर अलवर।

-----प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राज0
काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थित :-

श्री सोहनपाल सैनी एडवोकेट- वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक 15.04.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 503 रकबा 1.4668 है0 वाके गोविन्दगढ़ तह0 गोविन्दगढ

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

जिला अलवर में स्थित है। जिसे आगे चलकर दावा में आराजी मुतनाजा के नाम संबोधित किया जा रहा है।

यह है कि आराजी मुतनाजा मोरमल व उसकी मां मु0 सुनरी की संयुक्त कब्जे कास्त खातेदारी की आराजी थी। जिसमें 1/2 भाग की सुनरी व 1/2 भाग का मोरमल खातेदार कास्तकार मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज है। जिसमें सुनरी अर्सा कई साल पूर्व फौत हो गई है। जिसका 1/2 भाग मोरमल को ही बतौर वारिस प्राप्त हुआ था। लेकिन मोरमल के नाम सुनरी का विरास्त रिकॉर्ड में दर्ज नही हुआ जिससे आराजी का 1/2 भाग सुनरी के ही नाम बोल रही है तथा 1/2 भाग मोरमल के नाम दर्ज है।

यह है कि मोरमल ने वादीया की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपनी सम्पत्ति जिसमें आराजी मुतनाजा खसरा नं. 503 वाके गोविन्दगढ़ में रिकॉर्ड में मोरमल का नाम 1/2 भाग थी। क्योंकि उस समय सुनरी की विरास्त मोरमल के नाम दर्ज नही हुई थीं। इसलिए आराजी मुतनाजा जो रिकॉर्ड में 1/2 भाग बोल रही थी। उसका व अन्य आराजी खसरा नं. 504, 505, 514, कुल किता 3 रकबा 3.14 है0 सालिम व खसरा नं. 503 रकबा 5.16 है0 के 1/2 भाग वाके ग्राम गोविन्दगढ़ की एक रजिस्टर्ड वसीयत गवाहान के समक्ष दिनांक 04.01.2017 को स्वेच्छा पूर्वक वादीगण हबीबन व खातूनी स्त्री सकील, अरबीना स्त्री कयूम के हक में समान 1/3 भाग करवा दी और मोरमल के मरने के बाद मुताबिक वसीयतनामा वादीगण उक्त आराजी पर काबिज हो गई जिसमें खसरा नं. 504, 505, 514 वाके गोविन्दगढ़ तो उस वक्त मुताबिक वसीयत के वादीगण के नाम दर्ज हो गई लेकिन खसरा नं. 503 सहवन से रह गया था।

यह है कि वादीगण ही आराजी मुतनाजा सालिम पर मोरमल के मरने के बाद तन्हा काबिज चली आ रही है, सुनरी मोरमल की दत्तक मां थी जो मोरमल सुनरी का वारिस था जिससे मोरमल अपने जीवन काल में सालिम आराजी पर काबिज चला आ रहा था और मोरमल ने वादीगण के हक में आराजी मुतनाजा की वसीयत वादीगण के हक तहरीर व तकमील करवा रखी है इसलिए आराजी मुतनाजा सालिम पर वादीगण ही काबिज है और वादीगण कानूनी रूप से

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

आराजी मुतनाजा ही काबिज है और वादीगण कानूनी रूप से आराजी मुतनाजा की अपने हक में खातेदारी दर्ज करवाने की कानून हकदार है।

यह है कि प्रतिवादी का आराजी मुतनाजा से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही है लेकिन बिना किसी हक व अधिकार के दिनांक 20.12.2021 को आराजी मुतनाजा में आकर वादीया के साथ शांत मय कब्जे कास्त मजामत पैदा करता है तथा कहता है कि आराजी मुतनाजा को वादीगण के नाम मुताबिक वसीयत नाम दर्ज नही करवाने दूंगा बल्कि मै अपने नाम दर्ज करवाउंगा व जबरन लठ्ठ के बल पर कब्जा करूंगा।

अतः वादीगण द्वारा दावा इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं. हाल 503 रकबा 1.4668 है0 वाके ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी को पाबंद फरमाया जावे कि वो आराजी मुतनाजा में वादीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा न करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी उपस्थित। प्रतिवादी को जवाब दावा पेश करने बाबत पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नही किया गया। अतः दिनांक 17.01.2025 को प्रतिवादी का जवाब बंद किया गया।

वादीया ने अपने दावा के समर्थन में असल वसीयत दिनांक 06.01.2017 प्रदर्श–1 है जिसकी नोटरी से प्रमाणित प्रति **प्रदर्श–1/ए है**, प्रमाणित वसीयत दिनांक 09.04.2004 **प्रदर्श–2**, नकल जमाबन्दी संवत् 2072 लगायत 2075 **प्रदर्श–3** पेश कर प्रदर्शित कराये है।

वादीया ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी हबीबन स्त्री रूस्तम **पी डब्ल्यू–1**, गवाह सोनू पुत्र रघूवीर जाति शर्मा **पी डब्ल्यू–2**, गोविन्दशरण पुत्र किशोरीलाल जाति मीणा **पी डब्ल्यू–3** के शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

हमने वादीया के विद्ववान अधिवक्ता की बहस सुनी अधिवक्ता वादीया ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को ही

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

दोहराया व कथन किया कि आराजी खसरा नं. हाल 503 रकबा 1.4668 है0 वाके ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी को आराजी मुतनाजा में वादीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस का मनन किया। आराजी खसरा नं. 503 रकबा 1.4668 है0 वाके ग्राम गोविन्दगढ़ तह0 गोविन्दगढ़ जिला अलवर जमाबंदी संवत 2072–2075 (प्रदर्श–3) अनुसार मु0 सुनरी पत्नी रहमान हि0 1/2 एवं मोरमल पुत्र रहमान हि0 1/2 खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। (प्रदश–1/ए) रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 06.01.2017 अनुसार मोरमल पुत्र रहमान कौम मेव द्वारा आराजी खसरा नं. 503 वाके ग्राम गोविन्दगढ़ रकबा 5.16 का 1/2 भाग हबीबन पुत्री रूस्तम कौम मेव 1/3 भाग, खातुनी स्त्री सकील कौम मेव 1/3 भाग व अरबीना स्त्री कयूम कौम मेव 1/3 भाग के हक में वसीयत की गयी थी। अपंजीबद्ध वसीयतनामा (प्रदर्श–2) अनुसार सुनरी बेवा रहमान द्वारा अपने पुत्र मोरमल को खसरा नं. 503 वाके ग्राम गोविन्दगढ़ में अपने 1/2 भाग की वसीयत की गयी। रजिस्टर्ड वसीयत के गवाह गोविन्दशरण पुत्र किशोरीलाल जाति मीणा के बयान **पी डब्ल्यू–3** अनुसार रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 06.01.2017 को उसे समक्ष तस्दीक हुई थी। एवं अंतिम वसीयत थी। रजिस्टर्ड वसीयत में गवाह के रूप में उसके हस्ताक्षर है। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 05.06.2019 अनुसार मोरमल पुत्र रहमान ,खां की मृत्यु 23.05.2019 को हो चुकी है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 503 पर वादीगण का कब्जा काश्त है। अपंजीबद्ध वसीयतनामा जिसमें सुनरी बेवा रहमान द्वारा अपने पुत्र मोरमल को आराजी ख.नं. 503 वाके ग्राम गोविन्दगढ़ में अपने 1/2 हिस्से की वसीयत की गयी है, के बाबत कोई दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य पेश करने में वादी विफल रहा है। एवं उक्त अपंजीबद्ध वसीयत भी वादीगण के स्थान पर मोरमल पुत्र रहमान के हक में की गयी है। अतः वाके ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ के आराजी खसरा नं. 503 के 1/2 हिस्से में मोरमल पुत्र रहमान कौम मेव द्वारा वादीगण के हक में की

उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़, सत्यमेव जयते, जिला अलवर (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

गयी रजिस्टर्ड वसीयत की जद तक वाद को आंशिक रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण साबित होने से आंशिक रूप से डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर हाल 503 रकबा 1.4668 है0 वाके ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रेकार्ड में मोरमल पुत्र रहमान का इन्द्राज कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गोविन्दगढ को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

आज दिनांक 15.04.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/168/2021

बउनवान

1. हबीबन पत्नी रूस्तम जाति मेव निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. खातुनी स्त्री सकील माता हबीबन जाति मेव निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
3. अरबीना स्त्री कयुम माता हबीबन जाति मेव निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

————डिक्रीदारान

बनाम

1. शौकीन पुत्र अजमल जाति मेव निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर अलवर।

————मदयूनान

दावा अन्तर्गत धारा 88,188

राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

आदेश

अतः वाद वादीगण साबित होने से आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर हाल 503 रकबा 1.4668 है0 वाके ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रेकार्ड में मोरमल पुत्र रहमान का इन्द्राज

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर) राज०

कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गोविन्दगढ को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

आज दिनांक 15.04.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी की गयी है।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)